

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
SAMASTIPUR SCORE SAMSASTIPUR

COURT FILE

Authorization No. 3358

भारत

INDIA

STAMP DUTY

0 0 0 0

₹ ००००१००

विद्यार्थी
JUDICIAL

सत्यमत अपने
INDIA

375312

BIHAR

523136

27/9

17 / 7 / 2017

**Zero*Zero*Zero*Zero*One **Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*



(नियम 4क देखिए)



२२ उड़ियारपुर रामानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क
मैं पृथ्वीनाथ परामुख **पुत्र/पुत्री/पत्नी जनकदेव परामुख आयु 46 वर्ष,
जो ग्राम-विधायिका, डीक्षित नेतृत्व के शासी भाइया थाना रुक्मा, डीमी (डीक्षित का पूरा पता लिखें) का/की निवासी
हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-
(1) मैं ग्रामीण दल के ६८ (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/
**एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम ।।३ रुक्मा विधानसभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम)
में भाग सं. ६६ के क्रम सं. ३६६ पर प्रविष्ट है।
(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ७८७०८७५०९१ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)
Prithvinath00@.com है।

(4) स्थाई लेख संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं	BEDPP2696K	शु-प	शु-प
2.	पति या पत्नी	शु-प	शु-प	शु-प
3.	आश्रित-1	शु-प	शु-प	शु-प
4.	आश्रित-2	शु-प	शु-प	शु-प
5.	आश्रित-3	शु-प	शु-प	शु-प

(2)

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं। शु-प

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	<u>शु-प</u>
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	<u>शु-प</u>
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<u>शु-प</u>
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	<u>शु-प</u>
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	<u>शु-प</u>
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	<u>शु-प</u>

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिखा गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] 25-प

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<u>शु-प</u>
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिखा गया है	<u>शु-प</u>
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	<u>शु-प</u>

(6) मुझे किसी अपराध (अपरोधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) 1951 का 43 की धारा 8 को उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :- 25-प यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: 35-प

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	<u>शु-प</u>
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	<u>शु-प</u>
(ग)	अधिरोपित दंड	<u>शु-प</u>
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्राप्ति	<u>शु-प</u>

(7) मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम (Movable) और स्थावर (Immovable) आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम (Movable) आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और खाता सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक पतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहीत ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	15000/-	10000/-	शु-प	शु-प	शु-प
(ii)	बैंक खाता में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	3.3.1 विश्वरिपुर A/C N. 3378588378/ राशि- 67600/- १००००/- ५०००/- परसा वाला A/C 16326 राशि 677/-	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प



(vi)	पोटरयान/ वायुयान/ बाट/ पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शू-प	200 लाख किए 6000/- 50 लाख-वाली किए 4500/-	शू-प	शू-प	शू-प
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(ix)	समग्र कुल मूल्य	88771/-	64500/-	शू-प	शू-प	शू-प

ख. स्थावर (Immovable) अस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
	क्षेत्र (वर्ग फट में कुल माप)	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प

	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	(iii) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	(iv) आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प



विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	भुन्प	शुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	भुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प	शुन्प
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	भुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों (dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य (lone or dues) बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किहीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्प	भुन्प	भुन्प	शुन्प	भुन्प
	कोई अन्य दायित्व	शुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प
	दायित्वों का कुल योग	शुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्प	भुन्प	शुन्प	शुन्प	शुन्प
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्प	भुन्प	भुन्प	शुन्प	शुन्प
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्प	भुन्प	भुन्प	भुन्प	शुन्प

सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
आय-कर शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
धनकर शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
सेवाकर शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
विक्रयकर शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
कोई अन्य शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतवलित (In- volved) रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कूटी

(ख) पति या पत्नी कूटी

10. मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है। (मैंने परसाग ६५ स्कूल वार्ष १९७९ विद्यालय/विश्वविद्यालय
परीक्षा समिति पटना (ठ) इट्ट-राइ-कालैज व्यापार वर्ष १९८१ विद्यालय/विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर
(३) फारक राइ-कालैज व्यापार वर्ष १९८३ विद्यालय/विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे
देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

भाग-ख

11. भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1. अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/क्र० ५२११११५५१६
2. डाक का पूरा पता	ग्राम- कूटीपाटा इक्कापाटा-कूटीपाटा थाना- रामपाटा इला- भारत
3. निवाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	१३ कूटा विधानसभा विधान
4. उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	महामुक्तिदल



5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		<u>शु-५</u>			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)		<u>शु-५</u>			
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएँ)		<u>शु-५</u>			
7.	<u>312471</u> का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	<u>कुल दर्शित आय</u>			
	(क) अभ्यर्थी	<u>13EDPP2696K</u>	<u>शु-५</u>			
	(ख) पति या पत्नी	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>			
	(ग) आश्रित	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>			
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3

क.	जंगम (Movable) आस्तियां (कुल मूल्य)	<u>शु-५</u>	<u>64500/-</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>
ख.	स्थावर (Immovable) आस्तियां	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>
(I)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	<u>शु-५</u>				
(II)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>
(III)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>	<u>शु-५</u>

	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
9.	दायित्व		शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है शुन्					
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्	शुन्
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे है) ① प्रैटिक - परसागाम हाई स्कूल पार्सन वर्ष १९७७ विहार विद्यालय परीक्षा प्राप्ति प्राप्ति ② डेस्ट्रॉ राजन्द्र कालीन व्यापार वर्ष १९८१ विहार विद्यालय प्राप्ति प्राप्ति ③ एगारक - राजन्द्र कालीन व्यापार वर्ष १९८३ विहार विद्यालय प्राप्ति प्राप्ति					


सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरा पर्याप्त जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग के कोई मुख्य दोषसिद्धि का भेद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 17.4.2014 को सत्यापित किया गया।



NOTARY 14/4/14
Bageshwar (B.A.)

I identify by Prithivinath Prasad ✓ मुख्य नाम प्रसाद
who has signed in my presence
अभिसाक्षी

S. Bhawna Sharma
17.4.14
EN 7480/99

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 शपथपत्र टंकित या सुपार्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो “शून्य” या “लागू नहीं” या “ज्ञात नहीं” जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण 6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी ।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 7870875091

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है Prithvirajh.00@.Com

एवं मेरा सोशल एकाउटस (अगर कोई हो) है शुभ-५